

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in


File No.:- F.59 DLB/STP/L.P. Padampur(49)/17/1988

Date : 08/08/17

:-कार्यालय आदेश:-

राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ व अन्य भूमि संबंधी ले-आउट प्लान के अनुमोदन हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग को ऐतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। वरिष्ठ नगर नियोजक विभिन्न नगरीय निकायों से प्राप्त ले-आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण पश्चात् अनुमोदन जारी कर सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

File No.:- F.59 DLB/STP/L.P. Padampur(49)/17/1988

Date : 08/08/17

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
6. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
7. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक